

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या 1792/2012/जयपुर

वाणिज्यिक कर अधिकारी,  
प्रतिकरापवंचन, सम्भाग-तृतीय, जयपुर

.....अपीलार्थी

बनाम

मैसर्स पारीक टिम्बर्स,  
पुलिस स्टेशन के सामने,  
चाकसू, जिला जयपुर

.....प्रत्यर्थी

एकलपीठ

श्री ओमकार सिंह आशिया, सदस्य

उपस्थित : :

श्री रामकरण सिंह,  
उप राजकीय अभिभाषक  
श्री एस.के. जैन,  
अभिभाषक

.....अपीलार्थी की ओर से

.....प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक : 02/04/2018

निर्णय

1. यह अपील अपीलार्थी विभाग द्वारा उपायुक्त (अपील्स) तृतीय, वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा अपील संख्या 294/अपील्स-तृतीय/2011-12 के आदेश दिनांक 24.04.2012 के विरुद्ध पेश की गई है, जिसमें अपीलीय प्राधिकारी ने प्रत्यर्थी व्यवहारी (जिसे आगे "प्रत्यर्थी" कहा जायेगा) की अपील स्वीकार करते हुए वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, सम्भाग-तृतीय, जयपुर (जिसे आगे "सक्षम अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2006 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 25, 55 एवं 61 के अन्तर्गत आरोपित कर रुपये 2,82,889/-, ब्याज रुपये 16,973/- एवं शास्ति रुपये 5,65,978/- को अपास्त किया गया है।
2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रत्यर्थी व्यवहारी का सर्वेक्षण सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी-प्रथम, प्रतिकरापवंचन, जोन-तृतीय, जयपुर द्वारा दिनांक 30.11.2011 को किया गया तथा जांच के समय नियमित लेखा पुस्तकें व्यवसाय स्थल पर उपलब्ध नहीं पाई गई थी तथा कुछ लूज़ पेपर्स एवं एक बिल बुक पाई गई जिनका सत्यापन नहीं हो सकने के कारण इन्हें अभिग्रहीत किया गया। तत्पश्चात् इन अभिग्रहीत दस्तावेज का सत्यापन प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत लेखा पुस्तकों से किये जाने पर वर्ष 2011-12 में 14 प्रतिशत कर योग्य माल कीमतन रुपये

31

निरन्तर.....2



2,54,454/- की बिक्री तथा रूपये 16,41,077/- की खरीद लेखा पुस्तकों से सत्यापित नहीं पाई गई। तत्पश्चात् प्रकरण सक्षम अधिकारी को निर्णय हेतु स्थानान्तरित किये जाने पर उसके द्वारा प्रत्यर्थी को नोटिस जारी किया गया एवं प्रस्तुत प्रत्युत्तर को अस्वीकार करते हुए धारा 25 के अन्तर्गत कर निर्धारण आदेश दिनांक 16.01.2012 को पारित करते हुए unaccounted-for purchases रूपये 16,41,077/- में 10 प्रतिशत मुनाफा जोड़ते हुए इसकी बिक्री रूपये 18,05,185/- अवधारित करते हुए तथा unaccounted-for sales रूपये 2,15,454/- कुल अलेखांकित बिक्री रूपये 20,20,639/- पर करापवंचन मानते हुए 14 प्रतिशत की दर से कर रूपये 2,82,889/-, ब्याज रूपये 16,973/- तथा धारा 61 के अन्तर्गत शास्ति रूपये 5,65,778/- कुल रूपये 8,65,640/- का आरोपण किया गया।

3. अपीलार्थी राजस्व की ओर से पक्ष प्रस्तुत करते हुए विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि सर्वेक्षण के समय प्रत्यर्थी द्वारा नियमित लेखा पुस्तकें प्रस्तुत नहीं की गई थी तथा जो कागजात पाये गये थे उनका बाद में नियमित लेखा पुस्तकों से सत्यापन करने पर उचंती खरीद बिक्री पाई गई थी जिस पर कर, ब्याज एवं शास्ति का आरोपण विधिनुसार सही किया गया है। अपीलीय अधिकारी ने तथ्यों की अनदेखी कर उक्त आरोपित मांग राशि को अपास्त किया है जो कि विधिसम्मत नहीं होने से अपीलीय आदेश अपास्त किये जाने योग्य है। इस आधार पर उन्होंने राजस्व की अपील स्वीकार करने का निवेदन किया।
4. प्रत्यर्थी के विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि प्रत्यर्थी एक छोटा व्यापारी है जो चाकसू नामक कस्बे में बबूल आदि लकड़ी का व्यापार करता है। बबूल की लकड़ी सामान्यतः स्थानीय स्तर पर छोटे व अपंजीकृत व्यवसायियों से ही खरीद कर लेता है। जांच अधिकारी एवं सक्षम अधिकारी ने तथ्यों की भली-भांति जांच नहीं की तथा वास्तविक तथ्यों की अनदेखी कर जो कर एवं शास्ति आरोपण किया है वह पूर्णतः अविधिसम्मत था, अतः अपीलीय अधिकारी द्वारा उसे अपास्त करने में कोई त्रुटि नहीं की गई है। इस प्रकार उन्होंने राजस्व की अपील अस्वीकार करने की प्रार्थना की है।
5. उभय पक्ष की बहस सुनी गई तथा उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। अभियोग पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि सर्वेक्षण के समय व्यवसाय स्थल पर कुछ लूज़ पेपर्स एवं एक बिल बुक ऐसी पाई गई थी जिसका सत्यापन लेखा पुस्तकों से नहीं होने के कारण इन्हें अधिनियम की धारा 75(4) के तहत अभिग्रहीत किया गया था। तत्पश्चात् अभिग्रहीत अभिलेखों के सत्यापन हेतु प्रत्यर्थी की





उपस्थिति में उसके द्वारा प्रस्तुत लेखा पुस्तकों के आधार पर ऑडिट रिपोर्ट तैयार की गई है। इस विस्तृत ऑडिट रिपोर्ट के पश्चात् यह पाये जाने पर कि प्रत्यर्थी द्वारा 14 प्रतिशत से कर योग्य माल कीमतन रूपये 2,15,454/- की बिक्री बिना बिल जारी किये ही कर दी गई तथा 14 प्रतिशत की दर से ही कर योग्य माल कीमतन रूपये 16,41,077/- की खरीद बिना बिल के ही की गई। जारी नोटिस के प्रत्युत्तर में प्रत्यर्थी द्वारा यह बताया गया है कि आक्षेपित बिक्री स्क्रेप माल की थी जो दीमक लगने के कारण खराब हुई लकड़ी को बेचा गया था एवं जो बिना बिल खरीद आक्षेपित की गई थी उसके सम्बन्ध में rounding off तथा difference in measurement होने के कारण अन्तर आना बताया है।

6. उल्लेखनीय है कि यदि प्रत्यर्थी द्वारा दीमक लगी हुई लकड़ी सम्बन्धी स्क्रेप माल की बिक्री की गई होती तो उसको माल के अनुरूप बिल बनाकर तथा माल खाते में भी तदनुसार प्रविष्टि कर घोषणा की जानी अपेक्षित थी, लेकिन प्रत्यर्थी के बिलों से या लेखा पुस्तकों से ऐसा कोई आशय प्रकट नहीं होता है कि बेचा गया माल दीमक लगा होने से स्क्रेप माल था। अतः इस सम्बन्ध में प्रत्यर्थी का प्रत्युत्तर अस्वीकार करने में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गई है। इसी प्रकार माल के measurement के सम्बन्ध में जो कथन प्रत्युत्तर में दिया गया है कि rounding off तथा difference in measurement होने के कारण अन्तर आया है, वह भी प्रत्यर्थी साबित करने में असफल रहा है कि measurement में किस कारण से फर्क आया तथा विभिन्न आंकड़े round off करने के कारण लकड़ी की माप तथा रकम में अन्तर किस प्रकार आया है। सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रत्यर्थी का प्रत्युत्तर मात्र एक casual reply है जिसे किसी भी प्रकार से तथ्यों से समर्थित नहीं किया गया है, अतः इसे अस्वीकार करने में सक्षम अधिकारी द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गई है।
7. अपीलीय अधिकारी ने अभियोग पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों को नजरअन्दाज करते हुए प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत पक्ष को हूबहू स्वीकार कर तथ्यात्मक एवं विधिक त्रुटि की है, अतः ऐसी स्थिति में अपीलीय आदेश अपास्त किये जाने योग्य है।
8. अतः उपरोक्त विवेचनानुसार अपीलीय आदेश को अपास्त करते हुए सक्षम अधिकारी के आदेश की पुष्टि की जाती है तथा राजस्व की अपील स्वीकार की जाती है।
10. निर्णय सुनाया गया।



(ओमकार सिंह आशिया)

सदस्य